संख्या-129/2015/आर-3857/26-3-2015-4(154)/2005 टी.सी.।

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 03 नवम्बर, 2015

विषयः- वर्ष 2015-16 हेतु संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-81 के आयोजनागत पक्ष में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, सोनहा-लखीमपुरखीरी के संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली, के पत्रांक-11015/5(11)/2015 एस.जी.-I, दिनांक-17.09.2015 के क्रम में निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-230/ज.जा.वि./2015-16, दिनांक-15.10.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015, में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना 'केन्द्रपुरोनिधानित एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, सोनहा-लखीमपुरखीरी के संचालनद्ध हेतु प्राप्त केन्द्रांश रूपया-168.30 लाख में से आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपया-200.00 लाख के सापेक्ष रूपया-141.45 लाख (रूपया एक करोड़ इकतालिस लाख पैतालिस हजार मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1)- स्वीकृत की जा रही धनराशि 'उ0प्र0 अनुसूचित जनजाति शैक्षिक एवं विकास समिति' के नाम लखनऊ के राष्ट्रीयकृत बैंक में खुले खातें में जमा की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)- व्यय की गयी धनराशि का लाभ नियमानुसार अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को ही दिया जायेगा।

(4)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग कर लिया गया है और कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(5)- गत वर्ष में स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि की वित्तीय एवं प्राप्त भौतिक लक्षण की सूचना के साथ उपभोग प्रमाणपत्र यथासमय शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियो के कल्याण के लिये विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015,, दिनांक 30 मार्च 2015, में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ.संख्या-129/2015/आर-3857/26-3-2015 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, लखीमपुरखीरी।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
7. गार्ड फाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-129/2015/आर-3857/26-3-2015-4(154)/2005टी.सी.I, दिनांक-03-11-2015 का संलग्नक

एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, सोनहा-लखीमपुरखीरी के संचालन हेतु वर्ष 2015-16 की विभिन्न मदों में वितीय स्वीकृति का विवरण

(रूपया लाख में)

क्र.स	विवरण	वर्ष (2015-16) हेतु स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	2	**3**
1	वेतन (संस्था की मांग के अनुसार)	**54.38**
2	कार्यालय व्यय तथा अन्य व्यय (संस्था की मांग के अनुसार)	**4.25**
3	420 छात्रों हेतु भोजन व्यवस्था पर व्यय (रू0 1200+180=1380/- प्रति छात्र प्रति माह की दर से 9 माह हेतु)	**52.16**
4	420 छात्रों हेतु टेस्ट बुक 400/- प्रति छात्र प्रति वर्ष	**1.68**
5	420 छात्रों हेतु यूनीफार्म (सूती एवं गर्म) रू0 2500/प्रति छात्र प्रति वर्ष	**10.50**
6	420 छात्रों हेतु दैनिक प्रयोगार्थ सामग्री टाइलेट आइटम रू0 1000/- प्रति छात्र प्रति वर्ष	**1.72**
7	अन्य विविध व्यय 1- 420 छात्रों हेतु चिकित्सा व्यय रू0 30/- प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से 09 माह हेतु रू0 1.134 2. 420 छात्रों हेतु स्टेशनरी व्यय रू0 85/-प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से 9 माह हेतु रू0 3..213 3. 120 छात्रों हेतु (कक्षा 6 व 9) स्कूल बैग रू0 300/-प्रति छात्र प्रति वर्ष रू0 0.36 4. 420 छात्रों हेतु यात्रा रू0 20/-प्रति छात्र प्रति माह की दर से रूपया-0.756 5. सी0बी0एस0सी0 फीस निर्धारित दर पर रू0 1.18 (संस्था की मांग के अनुसार) 6. अंशकालीन चिकित्सक रू0 5000/- प्रति माह रू0 0.45 (09 माह हेतु)	**6.64**
8	प्रयोगशाला हेतु उपकरण (कम्प्यूटर) संस्था की मांग के अनुसार	**-**
9	420 छात्रों हेतु विस्तर की व्यवस्था रू0 600/-प्रति छात्र प्रति वर्ष	**2.52**
10	बर्तनों की व्यवस्था (संस्था की मांग के अनुसार)	**0.60**
11	किचन में गैस प्लांट की व्यवस्था .	**-**
12	पुस्तकालय की व्यवस्था (संस्था की मांग के अनुसार)	**1.00**
13	जनरेटर में डीजल आदि की व्यवस्था (संस्था की मांग के अनुसार)	**2.50**
14	बिजली उपकरण एवं बिजली बिलों का भुगतान (संस्था की मांग के अनुसार)	**3.50**
	योग-	**141.45**

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।